



सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

रजिस्टर्ड

क्रमांक-एफ.2(907)सूप्रौ/संस्था/11/पार्ट/ML-373

जयपुर, दिनांक: 15-5-2014

नियुक्ति/पदस्थापन आदेश

एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक) (Analyst-Cum-Programmer (Deputy Director)) प्रतियोगी परीक्षा, 2011 के परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 (समय-समय पर संशोधित) के नियम-28 के अनुसरण में महामहिम राज्यपाल महोदया की आज्ञा से निम्नांकित अभ्यर्थियों को राजस्थान कम्प्यूटर सेवा में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में दो वर्ष की कालावधि के लिये रुपये 20200/-प्रतिमाह के नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration to Probationer Trainees) अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व में नियमित सेवा में कार्यरत है, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)एफ.डी./रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है:-

एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक)

क्र. स.	मेरिट नं.	नाम एवं पिता का नाम	जन्म तिथि	आवंटित श्रेणी	आवंटित कार्यालय/पदस्थापन विभाग	विशेष विवरण
1	55A	श्री भगवती प्रसाद पुत्र श्री बालमुकन्द	09-10-1978	OBC-M	एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक) कार्यालय जिला कलक्टर, बाड़मेर	श्री दीपक राज के स्थान पर (स्थानान्तरण से रिक्त हुए पद के विरुद्ध)
2	55B	श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री धरमपाल	13-02-1980	OBC-M	एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक) कार्यालय जिला कलक्टर, प्रतापगढ़	रिक्त पद पर

नोट: (अ) उपरोक्त नियुक्तियां माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर में दायर रिट पिटीशन संख्या 10672/2012, 18663/2012, 371/2013, 12578/13, 12317/13, 12250/13, 12318/13, 9346/13, 16663/2013, 11734/2013, 15774/2012 एवं 20647/2013 के निर्णय के अधीन रहेंगी।

(ब) उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों को दी गई नियुक्ति/पदस्थापन इस विभाग द्वारा वांछित दस्तावेजों के सत्यापन तथा पुलिस चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापन की सही रिपोर्ट प्राप्त होने के आधार पर दी गई है।

- यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 के नियम 28 उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई है।
- उक्त नियुक्तियों सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अधीन हैं।
- अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिवस के अन्दर अन्दर कार्यभार सम्भालना होगा अन्यथा उक्त नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे।
- परीवीक्षाधीन अभ्यर्थी केवल ऊपर अंकित नियत पारिश्रमिक के हकदार होंगे तथा अन्य भत्तों जैसा विशेष भत्ता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता या अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
- परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही "एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक)" की वेतन श्रृंखला (पी.बी-3) 15600-39100 (ग्रेड पे नं. 17) ग्रेड पे-6600 में न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। कार्यभार सम्भालने की रिपोर्ट 2 प्रतियों में तैयार की जावें। एक प्रति संबंधित अधिकारी एवं दूसरी प्रति इस विभाग के विभागाध्यक्ष यथा "शासन सचिव एवं आयुक्त, आई.टी. बिल्डिंग, तिलक मार्ग, जयपुर (राज.)-302005" को आवश्यक रूप से भेजें। अभ्यर्थी कार्यभार सम्भालने की रिपोर्ट ई-मेल यथा pic.estt@rajasthan.gov.in से अथवा फैक्स यथा 0141-2222011/2222007 के माध्यम से भी भेजी जानी अनिवार्य है।
- यह नियुक्ति अभ्यर्थी के स्वास्थ्य एवं चाल-चलन ठीक प्रमाणित होने के क्रम में कार्यभार सम्भालने की दिनांक को निम्नलिखित दस्तावेज कार्यभार ग्रहण करते समय पदस्थापन कार्यालय में प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे:-
क. सक्षम अधिकारी यथा जिला प्रमुख चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में स्वास्थ्य-परीक्षा प्रमाण-पत्र एवं महिला के सम्बंध में महिला चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण-पत्र।
ख. दो राजपत्रित अधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र (जो कि 6 माह से पूर्व का नहीं हों) प्रस्तुत करने होंगे।

- ग. अभ्यर्थी को उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय जिसमें उसने अंतिम शिक्षा पाई है, के प्रधान शैक्षिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सद्चरित्रता का प्रमाण-पत्र एवं मूल दस्तावेज के साथ (आवश्यक सभी दस्तावेजों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित (नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित अमान्य) छाया प्रति का एक पूरा सैट प्रस्तुत करना होगा साथ ही, अभ्यर्थी के द्वारा कम्प्यूटर क्षेत्र से संबंधित पूर्व में अर्जित की गई सभी तकनीकी योग्यताओं का इन्द्राज पदस्थापन विभाग में सेवा पुस्तिका में करवाया जाकर इस विभाग को सूचित किया जाना आवश्यक है तथा इसके अभाव में प्रार्थी द्वारा जब कभी अन्य विभाग में तकनीकी पदों पर आवेदन अग्रेषित करवाये जाने हेतु निवेदन किये जाने पर विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण जारी नहीं किया जायेगा।
- घ. संलग्न घोषणा-पत्र (प्रारूप) जिसे 10/- रुपये के नोन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करा नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कर पद पर कार्यग्रहण के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- ङ. कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)(कार्मिक)क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के अनुसरण में निर्धारित संलग्न प्रपत्र में कार्यभार ग्रहण करते समय घोषणा जो कि राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित हो, प्रस्तुत करें।
- च. यह नियुक्ति अभ्यर्थी की पात्रता होने एवं उसके शैक्षणिक योग्यता, आयु, अन्य किसी छूट, चरित्र एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने की शर्त पर की जा रही है।
7. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-। अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
 8. परिवीक्षा काल में कोई वार्षिक वृद्धि देय नहीं होगी।
 9. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या प.13 (1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 23.04.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, के अधीन सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे।
 10. वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 16 (5)एफ.डी./रूल्स/98 दिनांक 13-3-2006 के अनुसार चयनित वेतनमान का लाभ देय नहीं होगा।
 11. वित्त विभाग के आदेश दिनांक 04.10.2001 के अनुसार 01.06.2002 के बाद दो से अधिक बच्चे होने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
 12. दहेज नहीं लेने / देने का परिचयन घोषणा पत्र कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत करना होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(ए.एम.देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित विभागाध्यक्ष () को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अभ्यर्थी से वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही उसे कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करावें। साथ ही कार्यग्रहण रिपोर्ट की प्रति विभाग को भिजवायें।
6. कार्यालयाध्यक्ष / प्रभारी अधिकारी (संस्थापन), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
7. प्रभारी अधिकारी (वेबसाइट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर। यह आदेश इस विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा।
8. संबंधित एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक) गण () को पंजीकृत डाक द्वारा पालनार्थ।
9. संबंधित निजी पत्रावली।
10. लेखा शाखा (मय अतिरिक्त प्रति के)।
11. रक्षित पत्रावली।

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

तकनीकी निदेशक एवं

संयुक्त सचिव

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री
राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक) भर्ती
प्रतियोगी परीक्षा 2011 (रोल नं.) में चयनित/नियुक्ति हेतु अभिशपित
किये जाने पर यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन से
संबंधित सभी दस्तावेज पूर्ण रूप से सही हैं एवं मिथ्या/जाली/नकली/गलत तरीके से
प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अगर मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में किसी भी प्रकार से
जाली/नकली पाये जाते हैं तो मुझे ज्ञात है कि मेरी अभ्यर्थिता/पात्रता/चयन तुरन्त
प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा, जिसके लिए मैं स्वयं ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी
रहूंगा/रहूंगी। मिथ्या/जाली/नकली/त्रुटिपूर्ण दस्तावेज पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति
प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि मेरे विरुद्ध
वैधानिक/पुलिस/न्यायिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है, जिसके लिए मुझे
कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे यह भी ज्ञात है कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार
अन्य परीक्षाओं में शामिल होने से मुझे वंचित (Debar) किया जा सकता है, उसके लिए भी
मैं स्वयं ही जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

हस्ताक्षर

नाम

पता

.....

.....

.....

दिनांक :-

दूरभाष नं.

स्थान :-

मोबाईल नं.

कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक फ 7(1) (डी ओ पी) क-2/95
दिनांक 2000-2001 के क्रम में कर्मचारी द्वारा दी जाने वाली घोषणा
में, पद, विभाग..... एतद् द्वारा
घोषणा करता हूँ कि:-

1. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों की संख्या थी।

क्रं सं	नाम	जन्मतिथी
---------	-----	----------

2. दिनांक 1 जून 2002 को एवं इसके पश्चात मेरे बच्चों की
संख्या में वृद्धि नहीं हुयी है।

या

दिनांक 1 जून 2002 को एवं इसके पश्चात मेरे बच्चों की
संख्या में वृद्धि हुयी है एवं वर्तमान में मेरे बच्चों की कुल संख्या ...
..... है।

क्रं सं	नाम	जन्मतिथी
---------	-----	----------

हस्ताक्षर कर्मचारी

नाम
पद

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये

(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय मोहर के)